झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.07.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस राज्य में 6 वर्षो से लागू है, जनता के द्वारा चुने हुए 50 हजार से अधिक प्रतिनिधिगण इस त्रिस्तरीय पंचायती राज के भागीदार बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश संविधान के अनुच्छेद 243 (जी0) के शर्त्तो के अनुरूप 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध- 29 विषयों की शक्तियाँ और प्राधिकार न मिलने के कारण प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वाहन में अक्षम साबित हो रहे हैं। कुछ विषयों पर शक्तियाँ प्रदान भी की गयी है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा संसूचित न करने के कारण वो भी निष्प्रभावी हैं। पंचायतों को पूर्ण अधिकार मिले, स्वायत्त एवं स्वावलंबी संस्था के रूप में काम करे इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास
02-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	ज्ञातव्य है कि पलामू जिला अंतर्गत छत्तरपुर प्रखंड के PH तथा अंत्योदय के लाभुकों को विगत दो माह का खाद्यान उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर द्वारा अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक राज्य खाद्य गोदाम छत्तरपुर का भौतिक सत्यापन कराया गया।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अनुमंडल पदाधिकारी छत्तरपुर ने ज्ञापांक- 1156, दिनांक- 02.07.2016 के द्वारा उपायुक्त पलामू को यह सूचित किया है कि छत्तरपुर प्रखंड के लिए अक्टूबर 2015 से लेकर मई 2016 तक कुल 85822.40 क्वींटल खाद्यान का आवंटन प्राप्त था। जिसके विरूद्ध राज्य खाद्य गोदाम छत्तरपुर में कुल 63301.21 क्वींटल खाद्यान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 22521.19 क्वींटल खाद्यान कम प्राप्त हुआ फलस्वरूप लाभुकों को दो-तीन माह का खाद्यान उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मैं राज्य खाद्य गोदाम, छत्तरपुर को निर्धारित आवंटन से कम खाद्यान उपलब्ध कराने के औचित्य पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	सर्वश्री रबीन्द्र नाथ महतो, जय प्रकाश भाई पटेल एवं प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	"बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1" नियमावली-1939 में डिप्लोमा संवर्ग के अभियंताओं को अभियंता प्रमुख तक अर्थात पंचम स्तर तक प्रोन्नति के पद सोपान विगत 77 वर्षो से स्थापित थे परन्तु इसके उलट झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियमावली-2016 में उक्त पंचम स्तर तक के पद सोपान को मात्र प्रथम स्तर के पद सोपान तक ही सीमित कर दिया गया है, जो नई नियमावली की अधिसूचना तिथि के पूर्व से सहायक अभियंता का पद धारित कर रहे सामान्य वर्ग के डिप्लोमाधारी अभियंताओं के संविधान प्राप्त अधिकार का हनन एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 200 की धारा-73 में स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा अन्य विभागीय प्रधानों की बैठक दिनांक-15.05.2015 मे लिये गये निर्णयों की अवहेलना भी है। संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी के उक्त गैर कानूनी कृत्य से संबंधित संवर्ग के अभियंताओं को प्रोन्नति में वाजिव हक का हनन हो रहा है। अतएव विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक-28.11.2014 में पथ निर्माण विभाग के डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता (सामान्य कोटि) के प्रोन्नति के निमित्त खाली रखे गये 30 (तीस) पदों पर कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति तिथि से तत्काल इन प्रभावित संबंधितों को प्रोन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा अभियंता संघ बनाम झारखण्ड राज्य (एल0पी0ए0 सं-106/2015) में दिनांक- 28.09.2015 को	पथ निर्माण

		माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा सरकार के विरूद्ध पारित गंभीर टिप्पणी (छायाप्रति संलग्न) पर राज्य सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अतः सर्वप्रथम 30 (तीस) रिक्त पदों पर पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सामान्य वर्ग के डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं प्रधान सचिव, कार्मिक द्वारा नई नियमावली-2016 की समीक्षा डिप्लोमा संघ के आपत्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत औचित्य के परिप्रेक्ष्य में कराकर आवश्यक संशोधन हेतु सदन के माध्यम से हम सभी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
04-	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	धनबाद जिला के एन0एच0-2 अवस्थित तोपचांची-बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बीच दिनांक- 13 जून 2016 की रात पुलिस पदाधिकारियों द्वारा एक चमड़े लदे ट्रक के मालिक सह चालक मो0 नाजिम को गोली मार दी गयी थी, जिसकी पुष्टि घटना के 17 दिनों बाद चिकित्सारत मो0 नाजिम जब होश में आये तो अपने बयान में किया। ठीक इसी घटना के दूसरी ओर दिनांक- 18 जून 2016 को पुलिस पदाधिकारियों के इस जघन्य कृत्य पर पर्दा डालने के दबाव में तोपचांची थाना प्रभारी श्री उमेश कच्छप फांसी लगा लेते है, जिसे खुदखुशी कहा जाता है, जबकि धनबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर दिनांक- 29.06.2016 में भुक्तभोगी मो0 नाजिम के पिता हाजी मुर्शीद अहमद का बयान छपता है कि 17 जून को वह तोपचांची थाना गया था। थाना के बड़ा बाबु श्री कच्छप से मिला था, जिसमें कच्छप साहब बोले थे कि हाजी साहब चिंता मत करिये, हम कल अस्पताल आ रहे है, आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक इसके दूसरे दिन ही अखबार में पढ़ा कि कच्छप साहब ने फांसी लगा ली, यह नहीं हो सकता, लगता है कि उनका मर्डर किया गया है, वह एक नेक इंसान थे। यह सभी घटनाक्रम धनबाद जिले के पुलिस व्यवस्था तथा एन0एच0-2 पर चल रही पशु तश्करी के उगाही एवं रंगबाजी से जुड़ा एक अत्यंत ही गंभीर विषय है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि उक्त दुखःद घटनाक्रमों पर अविलंब सी0बी0आई0 जाँच कराते हुए संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर विधि-संवत कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

05-	श्रीमती गीता कोड़ा, श्री राजकुमार यादव एवं डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0	राज्य में विस्थापन एवं पुर्नवास की समस्या एक बहुत बड़ी अभिशाप के रूप में रैयतों/किसानों/कास्तकारों को भयक्रांत करती रही है। राज्य की अनुसूचित क्षेत्र हो या गैर- अनुसूचित क्षेत्र तथा सी0एन0टी0- एस0पी0टी0- कोल्हान अधिनियम- पी0पेसा अधिनियम, 5वीं अनुसूची के प्रावधानों, संवैधानिक मान्यता प्राप्त पारंपरिक कानूनों के अस्तित्व में रहने के बावजुद 1894 की भू-अर्जन कानून के तहत रैयतों/किसानों/कास्तकारों की भूमि को बेतहाशा अधिग्रहण किया जाता रहा। अधिग्रहण के क्रम में यहाँ के लोगों को उजाड़ने का सिलसिला विगत 7 दशकों से बदस्तूर जारी रहा। विस्थापितों/प्रभावितों का पुर्नवास-पुर्नस्थापन- मुआवजा एवं रोजगार संबंधी मुकम्मल नीति आज-तक नहीं बनाई गई। राज्य की जल-जंगल जमीन की भौगोलिक स्थिति के साथ लगातार छेड़-छाड़ की गई। अधिगृहीत भूमि को संबंधित रैयतों/किसानों/कास्तकारों को वापस करने के बजाय सरकार द्वारा उक्त भूमि का दुसरे उद्देश्य में इस्तेमाल कर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। इससे रैयतों/किसानों/कास्तकारों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब चुकि 120 वर्ष पुरानी भू-अर्जन अधिनियम 1894 अस्तित्व में नहीं है और देश भर में लारा अधिनियम, 2013 लागू हो चुकी है जिसमें पुरानी भू-अर्जन कानून 1894 से प्रभावितों को राहत दी गई है। अतः राज्य में विस्थापन का दंश झेल रहे रैयतों/किसानों/कास्तकारों के साथ सम्यक न्याय हो, भूमि की वास्तविक मालिकाना हक इन्हें प्राप्त हो तथा समग्र अधिग्रहण की व्यापक रूप से समीक्षा हो इसके लिए आसन के माध्यम से सरकार से विस्थापित आयोग तत्काल बनाये जाने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगी।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 25 जुलाई, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2837/वि0 स0, राँची, दिनांक-23/07/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/पथ निर्माण विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/16

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2837/वि0 स0, राँची, दिनांक-23/07/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

23/07/16